

उच्च अदालत

(विभाग 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, माण्डल

श्रीमती बालीदेवी बनाम श्रीमती सीता

किरण मुकरमा 21/11/22 नं 220 तन 2022

क्र.सं.	हुकम या कार्यवाही मय इतिहासगत जल	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तारीख में जारी हुए
22	<p>याद / शर्तनामक बाद जोध प्रस्तुत हुआ दर्ज रजिस्टर किया जाकर विरक्षीयता को सम्मन नोटिस जारी किये जाये । पत्रावली दिनांक 22-11-22 को भेजा है।</p> <p>उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर माण्डल</p> <p>22/11 पत्रावली पेश हुई वकील प्राथिया उपस्थित, अप्रार्थीगण के सम्मन बाद शामिल होकर प्राप्त हुए जिसे शां पठ किये गये; निष्पत्तीगत को डिबनी बार के कक कर आपाठे डिलायी जाने के बाद भी उपस्थित नहीं बनके फिक्ट एक तरफा चार्जवारी डिमे जाने का आदेश दिया जाता है वकील प्राथिया का प्राठपग स्वीकार किया जाकर निर्दिष्ट पृथक से लिखा जाकर शां पठ किया गया। पत्रावली फेदल बुझार होकर गठवर ले कम है।</p> <p>उपखण्ड अधिकारी माण्डल जिला भीलवाड़ा</p>	



न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, माण्डल जिला भीलवाड़ा (राज०)

अधिकारी- नारायण लाल जीनगर (आर०ए०ए०)

संख्या- 220/22 प्र०पत्र

श्री लाली इती वंशी वीरगुप्त तैली जिलासी. आर०ए०ए०। 1956 न० 111-128

-प्रार्थी

बनाम

श्री सीता वंशी श्याम लाल तैली जिलासी- एटेगनकार मांडल तहसील राज (गैर)
(संबंधित पत्र संख्या)

-विपक्षीय

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.मू.रा.अधि. 1956

दिनांक -22-11-22


::आदेश::

ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.मू.रा.अधि. 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन
8 ग्राम गुहा पटवार हल्का संतोक्पुरा तहसील माण्डल में उसके
व्त खाते की आराजी नं 504/4, 506 कुल किता 02 रकबा 0-1265
धत हैं। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीयों के मध्य आराजी मुतदायिया के सीमा चिन्ह नहीं होने से आद
संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिसमें प्रार्थी अपने खाते/संयुक्त खाते की भूमि को
के आदेश प्रदान कराये जायें।


प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 17-10-22 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण को
प्रार्थी से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी एवं कब्जे कारत की होने से पत्थरगढी कराने का
है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार निर्धारित किये जाते हैं। अतः इन तथ्यों को देखते
8 की न्यायिक सिद्धान्त के आधार पर स्वीकार योग्य है।

::आदेश::

प्रार्थना पत्र धारा 111-128 रा.मू.रा.अधि. 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम गुहा पटवार
पुरा तहसील माण्डल में उसके खाते/संयुक्त खाते की आराजी नं 504/4, 506
02 रकबा 0-1265 हेक्टर भूमि के चारों तरफ सीमा की पुखा जानकारों
हेतु पत्थरगढी किये जाने का आदेश किया जाता है। पत्थरगढी किये जाने हेतु मू-अभिलेख
माया को 500/- रूपये/- कमिश्नर फीस पर कमिश्नर फीस जमा होने
न की मौजूदगी में मौके व कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुए मुस्तकील बिन्दु का आधार
गढी की जायें। फसल खड़ी होने पर पत्थरगढी नहीं की जायें।


उपखण्ड अधिकारी
माण्डल माण्डल भीलवाड़ा

तहसीलदार माण्डल को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार
जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करें।


उपखण्ड अधिकारी
माण्डल माण्डल भीलवाड़ा